135

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. सागर केम्प सागर (म.प्र.)

(समक्ष श्री एम.एस.ठाकुर सा.)

निग/2976/II/15

रा.प्र.या.

B.O.R.

12 AUG 2015

235
25-8-15

पे.ता.12/8/15

1. श्रीबाई बेवा किशोर सींग
2. महेन्द्र सींग तनय किशोर सींग
3. वीरेन्द्र सींग तनय किशोर सींग

सभी साकिन ग्राम जेरठ तहसील पथरिया जिला दमोह(म.प्र.)

............याचिकाकर्ता

//बनाम//

1. लक्ष्मन सींग तनय खिलान सींग
2. मधु उर्फ धनसींग तनय गनेश सींग

निवासी वार्ड न. 15 डा. अम्बेडकर वार्ड लखनादोन जिला सिवनी(म.प्र.)

............प्रत्यार्थी/उत्तरदातागण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा स

अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह के रा.अपी.प्र.क्र. 33अ/27 वर्ष 12-13 पक्षकार लक्ष्मन सीग बल्द खिलान सीग बनाम श्रीबाई बेवा किशोर सींग में दिनॉक 31/03/15 को मामले में अधिकारित से बाहर जाकर पारित किये आदेश से पीडित व दुखी होकर वह पुनरीक्षण प्रस्तुत है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य :- अनावेदक/उत्तरवादीगण ने श्रीमान् तहसीलदार महो पथरिया के समक्ष मौजा जेरठ प.ह.न.15 के राजस्व अभिलेख में दर्ज खाता न. 721,723,877;728,267 में दर्ज भूमियों का बंटवारा कराने का आवेदन पत्र

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 2976-II/15 जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	मैंने आवेदक अधिवक्ता के दि २४-२-१६ को पुनः तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया. इनके प्रकाश में मैं यह पाता हूँ कि अनु अधि, पथरिया के जिस आदेश दि ३१-३-१५ के विरुद्ध इस रा मं न्यायालय में निगरानी आवेदन लगे गया है, वह तहसीलदार, पथरिया के मूल प्र क्र १५/अ२७/१२-१३ में पारित आदेश दि ६-५-१३ के विरुद्ध प्रथम अपील में पारित एक अतिम आदेश है, जिससे अनु अधि ने तहसीलदार का उक्त आदेश इस आधार पर निरस्त किया है क्योंकि उन्होंने उसमें बगैर सह-खातेदारों की सहमती के बटवारा स्वीकृत कर दिया गया होना पाया. मैं इस निगरानी आवेदन को दो कारणों से ग्राह्यता-योग्य नहीं पाता हूँ. प्रथम यह कि अनु अधि का आक्षेपित आदेश प्रथम अपील में पारित एक अंतिम आदेश है, जिसके विरुद्ध इस रा मं न्यायालय में निगरानी में आने के पूर्व पक्षकारों के पास अभी अधीनस्थ स्तर पर द्वितीय अपील में जाने का उपाय उपलब्ध है. अतः, उन्हें वरिष्ठ स्तर पर आने से पहले अधीनस्थ स्तर की रेमेडीज़ exhaust करनी चाहियें. दूसरा यह कि अनु अधि का आक्षेपित आदेश प्रथमदृष्टया एक स्पष्ट और बोलते स्वरुप का आदेश है. उसमें बटवारे को सभी सह-खातेदारों की सहमती के आभाव में निरस्त किया गया है. अतः, द्वितीय अपील में जाने के अतिरिक्त पक्षकारों के पास इस कमी की पूर्ति करते हुए, यानि सभ-सहखातेदारों की सहमती प्राप्त करते हुए, पुनः बटवारे हेतु विचरण न्यायालय के समक्ष जाने का रास्ता भी खुला है. उपरोक्त के प्रकाश में मैं इस निगरानी आवेदन को इस प्रक्रम पर इस रा मं न्यायालय में ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं पाता हूँ. अतः, प्रकरण अग्राह्य करते हुए रा मं से समाप्त किया जाता है. आदेश पारित. पक्षकार एवं सूचित हों. प्रकरण समाप्त. दा द हो. (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य	